



# Haryana Government Gazette

## EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 100-2018/Ext.] CHANDIGARH, FRIDAY, JUNE 15, 2018 (JYAISTHA 25, 1940 SAKA)

हरियाणा सरकार

आबकारी तथा कराधान विभाग

अधिसूचना

दिनांक 15 जून, 2018

**संख्या 57/जीएसटी-2.-** हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 19) की धारा 164 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा माल और सेवा कर नियम, 2017, को आगे संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

- (1) ये नियम हरियाणा माल और सेवा कर (सातवां संशोधन) नियम, 2018, कहे जा सकते हैं।  
(2) अन्यथा उपबंधित के सिवाय, ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।
- हरियाणा माल और सेवा कर नियम, 2017 (जिन्हें, इसमें, इसके बाद, उक्त नियम कहा गया है) में, नियम 37 में, उपनियम (1) के परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक रखा जाएगा, अर्थात्: -

“परंतु यह और कि धारा 15 की उपधारा (2) के खंड (ख) के उपबंधों के अनुसार जोड़ी गई किसी राशि के मद्दे प्रदायों के मूल्य को धारा 16 की उपधारा (2) के द्वितीय परंतुक के प्रयोजनों के लिए भुगतान किया गया समझा जाएगा।”।

- उक्त नियमों में, नियम 83 में, उपनियम (3) में, द्वितीय परंतुक में, “एक वर्ष” शब्दों के स्थान पर, “अठारह मास” शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

- उक्त नियमों में, नियम 89 में, उपनियम (5) के स्थान पर, निम्नलिखित उपनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा तथा प्रथम जुलाई, 2017 से प्रतिस्थापित किया गया समझा जाएगा, अर्थात्:-

“(5) विपरीत शुल्क ढांचा के मद्दे प्रतिदाय की दशा में, इनपुट कर प्रत्यय का प्रतिदाय, निम्नलिखित सूत्र के अनुसार दिया जाएगा: -

अधिकतम प्रतिदाय की राशि = [(विपरीत दर के माल और सेवाओं के प्रदाय का आवर्त) x शुद्ध आईटीसी ÷ समायोजित कुल आवर्त] - ऐसे विपरीत दर के माल और सेवाओं के प्रदाय पर भुगतानयोग्य कर।

**व्याख्या.-** इस उपनियम के प्रयोजनों के लिए, अभिव्यक्तियाँ,-

- “शुद्ध आईटीसी” पद से अभिप्राय है, सुसंगत अवधि के दौरान, ऐसे उपभोग किए गए इनपुट कर प्रत्यय से भिन्न, जिसके लिए उपनियम (4क) या उपनियम (4ख) या दोनों के अधीन प्रतिदाय का दावा किया गया है, इनपुटों पर उपभोग किया गया इनपुट कर प्रत्यय; और

- “समायोजित कुल आवर्त” पद का वही अर्थ होगा जो उपनियम (4) में दिया गया है।”।

(2045)

5. उक्त नियमों में, नियम 95 में, उपनियम (3) में, खंड (क) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किया जाएगा तथा प्रथम जुलाई, 2017 से प्रतिस्थापित किया गया समझा जाएगा, अर्थात्:-

“(क) किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति से, माल का आवक प्रदाय या सेवाओं या दोनों किसी कर बीजक के विरुद्ध प्राप्त किए गए थे;”।

6. उक्त नियमों में, नियम 97 में, उपनियम (1) में, परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक रखा जाएगा, अर्थात्: -

“परंतु यह और कि माल और सेवा कर (राज्यों को प्रतिकर) अधिनियम, 2017 (2017 का 15) की धारा 11 के साथ पठित धारा 54 की उपधारा (5) के अधीन अवधारित उपकर की राशि के पचास प्रतिशत के समतुल्य राशि निधि में जमा की जाएगी।”।

7. उक्त नियमों में, नियम 133 में, उपनियम (3) के स्थान पर, निम्नलिखित उपनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“(3) जहां प्राधिकरण यह अवधारित करता है कि रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति ने प्राप्तिकर्ता को माल या सेवाओं के प्रदाय पर कर की दर में कमी का फायदा या इनपुट कर प्रत्यय का फायदा कीमत में आनुपातिक कमी के रूप में नहीं दिया है तो वहां प्राधिकरण,-

(क) कीमतों में कमी करने ;

(ख) प्राप्तिकर्ता को उच्चतर राशि के संग्रहण की तिथि से ऐसी राशि की वापसी या ब्याज सहित वापस न की गई राशि की वसूली की तिथि तक, जैसी भी स्थिति हो, अठारह प्रतिशत की दर पर ब्याज सहित कीमतों में आनुपातिक कमी के रूप में राशि के समतुल्य नहीं दी गई राशि को वापस करने ;

(ग) जहां पात्र व्यक्ति ने राशि की वापसी का दावा नहीं किया है या उसकी पहचान नहीं हुई है, वहां उपरोक्त खंड के अधीन अवधारित राशि के पचास प्रतिशत के समतुल्य राशि को, धारा 57 के अधीन गठित निधि में और राशि का शेष पचास प्रतिशत केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 57 के अधीन गठित निधि में जमा करने;

(घ) अधिनियम के अधीन यथा विनिर्दिष्ट शास्ति के अधिरोपण ; और

(ङ) अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण,

का आदेश कर सकता है।

**व्याख्या.-** इस उपनियम के उपबन्ध ऐसे मामलों में लागू होंगे जहां राज्य के सम्बन्ध में प्राधिकरण ने आदेश पारित किया है।”।

8. उक्त नियमों में, नियम 138 में, उपनियम (14) में, खंड (ढ) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :-

“(ण) जहां प्रदाय से भिन्न किन्हीं कारणों से द्रवित पेट्रोलियम गैस की पैकिंग के लिए खाली सिलेंडरों को हटाया जाता है।”।

9. उक्त नियमों में, प्ररूप जीएसटीआर-4 में, अनुदेश में, क्रम संख्या 10 तथा उसके सामने प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित क्रम संख्या तथा उसके सामने प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :-

“10. जुलाई, 2017 से सितंबर, 2017, अक्तूबर, 2017 से दिसंबर, 2017, जनवरी, 2018 से मार्च, 2018 और अप्रैल, 2018 से जून, 2018 तक की कर अवधियों के लिए सारणी 4 का क्रम 4क नहीं दी जाएगी।”।

10. उक्त नियमों में, प्ररूप जीएसटी पीसीटी-01 में, भाग आ में,-

(क) क्रम संख्या 4 के सामने, प्रविष्टि (10) के पश्चात्, निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी तथा प्रथम जुलाई, 2017 से रखी गई समझी जाएंगी, अर्थात्:-

“(11) कम से कम पांच वर्ष की अवधि के लिए विद्यमान विधि के अधीन विक्रय कर व्यवसायी

(12) कम से कम पांच वर्ष की अवधि के लिए विद्यमान विधि के अधीन कर विवरणी तैयारकर्ता”;

(ख) “सहमति” के पश्चात्, निम्नलिखित रखा जाएगा तथा प्रथम जुलाई 2017 से रखा गया समझा जाएगा, अर्थात्:-

“घोषणा

मैं घोषणा करता हूं कि :

(i) मैं भारत का नागरिक हूं;

(ii) मैं स्वस्थचित्त का व्यक्ति हूं;

(iii) मुझे दिवालिया के रूप में न्यायनिर्णित नहीं किया गया है; और

(iv) मुझे किसी सक्षम न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध नहीं ठहराया गया है।”।



(ख) विवरण 5ख के स्थान पर, निम्नलिखित विवरण प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

**"विवरण 5ख**

**[देखिए नियम 89(2)(छ)]**

प्रतिदाय किस्म : समझे गए निर्यातों के मद्दे

(राशि रुपए में)

क्रम संख्या	प्रदायकर्ता द्वारा प्रतिदाय का दावा करने की दशा में जावक प्रदायों के बीजकों के ब्यौरे/प्राप्तिकर्ता द्वारा दावा किए गए प्रतिदाय की दशा में जावक प्रदायों के बीजकों के ब्यौरे				भुगतान किया गया कर			
	प्रदायकर्ता का जीएसटीआईएन	संख्या	तिथि	कराधेय मूल्य	एकीकृत कर	केंद्रीय कर	राज्य कर/संघ राज्यक्षेत्र कर	उपकर
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								;"।

संजीव कौशल,  
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,  
आबकारी तथा कराधान विभाग।

**HARYANA GOVERNMENT**  
**EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT**  
**Notification**

The 15th June, 2018

**No. 57/GST-2.**— In exercise of the powers conferred by section 164 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017), the Governor of Haryana hereby makes the following rules further to amend the Haryana Goods and Services Tax Rules, 2017, namely:-

- (1) These rules may be called the Haryana Goods and Services Tax (Seventh Amendment) Rules, 2018.
- (2) Save as otherwise provided, they shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

**2.** In the Haryana Goods and Services Tax Rules, 2017 (hereinafter called the said rules), in rule 37, in sub-rule (1), after the proviso, the following proviso shall be inserted, namely:-

“Provided further that the value of supplies on account of any amount added in accordance with the provisions of clause (b) of sub-section (2) of section 15 shall be deemed to have been paid for the purposes of the second proviso to sub-section (2) of section 16.”.

**3.** In the said rules, in rule 83, in sub-rule (3), in the second proviso, for the words “one year”, the words “eighteen months” shall be substituted.

**4.** In the said rules, in rule 89, for sub-rule (5), the following shall be substituted and shall be deemed to have been substituted with effect from the 1st July, 2017, namely:-

“(5) In the case of refund on account of inverted duty structure, refund of input tax credit shall be granted as per the following formula:-

Maximum Refund Amount = {(Turnover of inverted rated supply of goods and services) x Net ITC ÷ Adjusted Total Turnover} - tax payable on such inverted rated supply of goods and services.

**Explanation.**— For the purposes of this sub-rule, the expressions –

- (a) Net ITC shall mean input tax credit availed on inputs during the relevant period other than the input tax credit availed for which refund is claimed under sub-rules (4A) or (4B) or both; and
- (b) Adjusted Total turnover shall have the same meaning as assigned to it in sub-rule (4).”.

5. In the said rules, in rule 95, in sub-rule (3), for clause (a), the following shall be substituted and shall be deemed to have been substituted with effect from the 1st July, 2017, namely:-

“(a) the inward supplies of goods or services or both were received from a registered person against a tax invoice;”.

6. In the said rules, in rule 97, in sub-rule (1), after the proviso, the following proviso shall be inserted, namely:-

“Provided further that an amount equivalent to fifty per cent. of the amount of cess determined under sub-section (5) of section 54 read with section 11 of the Goods and Services Tax (Compensation to States) Act, 2017 (15 of 2017), shall be deposited in the Fund.”.

7. In the said rules, in rule 133, for sub-rule (3), the following shall be substituted, namely:-

“(3) Where the Authority determines that a registered person has not passed on the benefit of the reduction in the rate of tax on the supply of goods or services or the benefit of input tax credit to the recipient by way of commensurate reduction in prices, the Authority may order-

- (a) reduction in prices;
- (b) return to the recipient, an amount equivalent to the amount not passed on by way of commensurate reduction in prices along with interest at the rate of eighteen percent. from the date of collection of the higher amount till the date of the return of such amount or recovery of the amount including interest not returned, as the case may be;
- (c) the deposit of an amount equivalent to fifty per cent. of the amount determined under the above clause in the Fund constituted under section 57 and the remaining fifty per cent. of the amount in the Fund constituted under section 57 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017, where the eligible person does not claim return of the amount or is not identifiable;
- (d) imposition of penalty as specified under the Act; and
- (e) cancellation of registration under the Act.

**Explanation.**— The provisions of this sub-rule shall apply in such cases where the Authority passes the order in respect of the State.”.

8. In the said rules, in rule 138, in sub-rule (14), after clause (n), the following clause shall be inserted, namely:-

“(o) where empty cylinders for packing of liquefied petroleum gas are being moved for reasons other than supply.”.

9. In the said rules, in **FORM GSTR-4**, in the Instructions, for Serial No. 10, the following shall be substituted, namely:-

“10. For the tax periods July, 2017 to September, 2017, October, 2017 to December, 2017, January, 2018 to March, 2018 and April, 2018 to June, 2018, serial 4A of Table 4 shall not be furnished.”.

10. In the said rules, in FORM GST PCT-01, in PART B,-

- (a) against Serial No. 4, after entry (10), the following shall be inserted and shall be deemed to have been inserted with effect from the 1st July, 2017, namely:-

“(11) Sales Tax practitioner under existing law for a period of not less than five years

(12) tax return preparer under existing law for a period of not less than five years”;

- (b) after the “**Consent**”, the following shall be inserted, and shall be deemed to have been inserted with effect from the 1st July, 2017, namely:-

**“Declaration**

*I hereby declare that:*

- (i) *I am a citizen of India;*
- (ii) *I am a person of sound mind;*
- (iii) *I have not been adjudicated as an insolvent; and*
- (iv) *I have not been convicted by a competent court.”.*

(a) for Statement 1A, the following Statement shall be substituted, namely:-

*[see rule 89(2)(h)]*

[illegible]

(b) for Statement 5B, the following Statement shall be substituted, namely:-

*[see rule 89(2)(g)]*

(Amount in Rs)

Serial No.	Details of invoices of outward supplies in case refund is claimed by supplier/Details of invoices of inward supplies in case refund is claimed by recipient				Tax paid			
	GSTIN of the supplier	No.	Date	Taxable Value	Integrated Tax	Central Tax	State Tax /Union Territory Tax	Cess
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								,”

(a) for Statement 1A, the following Statement shall be substituted, namely:-

*[see rule 89(2)(h)]*

[illegible]

(b) for Statement 5B, the following Statement shall be substituted, namely:-

**“Statement 5B**

*[see rule 89(2)(g)]*

Refund Type: On account of deemed exports

(Amount in Rs.)

Serial No.	Details of invoices of outward supplies in case refund is claimed by supplier/Details of invoices of inward supplies in case refund is claimed by recipient				Tax paid			
	GSTIN of the supplier	No.	Date	Taxable Value	Integrated Tax	Central Tax	State Tax /Union Territory Tax	Cess
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								”

SANJEEV KAUSHAL,  
Additional Chief Secretary to Government, Haryana,  
Excise and Taxation Department.